न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जिला – जोधपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 139/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/241

प्रार्थीगण

1. अमानाराम पुत्र सोनाराम निवासी प्रहलादपुरा तहसील सेखाला जिला जोधपुर हाल तहसील चामू जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला हाल चामू जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती</u>

अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री लुम्बाराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 28/1/25

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:–

प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम प्रहलादपुरा पटवार हल्का चामू तहसील सेखाला जिला जोधपुर मे स्थित खसरा नम्बर 2403/4 रकबा 0.161874 हेक्टयर भूमि स्थित हैं। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 2403 रकबा 1.00 बीघा भूमि खरीद की गई जिसके चारो तरफ पत्थर रोपकर तारबंदी की हुई थी ओर खरीद की गई भूमि के पश्चिम दिशा मे भवरूराम पुत्र नथाराम की भूमि स्थित है। मौके पर प्रार्थी का खदी के दिन से कब्जा व काश्त हैं। डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजना के तहत की गई तरमीम गलत कर दी गई। प्रार्थी केवल मात्र हस्ताक्षर करना जानता है पढा–लिखा नही है। प्रार्थी का कब्जा भवरूराम पुत्र नथाराम के चिपता हुआ है जबकि तरमीम करते समय गलत जगह तरमीम कर दी गई है। प्रार्थना पत्र मे अंकित [illegible] के अनुसार बिन्दु संख्या A गलत तरमीम है तथा बिन्दु संख्या B सही [illegible] बिन्दु संख्या B के अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी [illegible] बिन्दु संख्या B के अनुसार करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.08.27 15:53:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब मे अंकित किया गया है कि प्रार्थी का खसरा नम्बर 2403/10 आपसी सहमति के बंटवाडा का नामान्तकरण संख्या 520 दिनांक 17.11.2021 से दर्ज हुआ है। नामान्तकरण संख्या 520 की पुश्त पर बंटवाडा का नजरी नक्शा अंकित है। वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी का राजस्व नक्शा बंटवाडे अनुसार ही तरमीम अंकित है। वक्त तरमीम ऑनलाईन कोई त्रुटि नही हुई है। वर्तमान तरमीम आपसी सहमति के बंटवाडा अनुसार सही दर्ज है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे बहस की गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दौहराते हुए अनुरोध किया गया कि प्रार्थी मात्र हस्ताक्षर करना जानता है। आपसी सहमति से बंटवाडे करते समय प्रार्थी के हस्ताक्षर मात्र करवाये गये थे प्रार्थी को तरमीम की जानकारी नही थी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया हैं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अप्रार्थी के जवाब पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा राजस्व रेकर्ड मे आपसी सहमति से किया गया है। राजस्व नक्शे मे वादग्रस्त आराजी की तरमीम बंटवाडे के अनुसार ही की गई है। अप्रार्थी के जवाब के अनुसार नामान्तकरण के पुश्त के पीछे नजरी नक्शा उपलब्ध है जिसके अनुसार ही वर्तमान मे तरमीम की गई है। प्रार्थी आपसी सहमति से किये गये बंटवाडे को निरस्त करवाने के पश्चात् ही उसको चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो सकता है जिसके लिय प्रार्थी समक्ष न्यायालय मे चाराजोही हेतु स्वतंत्र है।

अतः इस प्रकार राजस्व रेकर्ड अशुद्व नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू.राजस्व अधिनियम 1956 को अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 29/11/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया

(भवानी सिंह)
पीठासीन अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.08.27 15:53:04 IST
Reason: SelfAttested